राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी,श्रीगंगानगर

क्रमांकः रसद / विज्ञप्ति / उ0मू.दु.आवंटन / 2025 / 803 दिनांक :- 13 .06.2025

-: विज्ञप्ति :-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ17(1)खा. वि. / न्याय / 2025 दिनांक 24.02.2025 एवं पत्रांक एफ17(1)खा.वि. / न्याय / 2025 दिनांक 12.03.2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत श्रीगंगानगर जिले में कुल 23 नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन करने हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने हेतु सशुल्क आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2025 से कार्यालय जिला रसद अधिकारी,श्रीगंगानगर (जिला कलक्टर कार्यालय परिसर) से (राजकीय अवकाश को छोडकर) 100 /-रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते है। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर पात्रता सम्बन्धी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ दिनांक 30.06.2025 को सायं 6.00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर में जमा कराये जा सकेंगे। नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र0स0	नाम तहसील	नवसृजित (ग्रामीण / शहरी)	विज्ञापित एफपीएस की संख्या व आरक्षण
1.	श्रीगंगानगर	ग्राम पचांयत चूनवाढ	**01-(महिला आरक्षित)**
2.		ग्राम पंचायत 15 जैड	**01-(महिला आरक्षित)**
3.		ग्राम पंचायत रोहिडावाली	01-(अनारक्षित)
4.		ग्राम पंचायत पक्की	01-(अनारक्षित)
5.		शहरी वार्ड नम्बर 02 नया व पुराना	01-(अनारक्षित)
6.		शहरी वार्ड नम्बर 08, पुराना वार्ड नं. 06	01-(अनारक्षित)
7.		शहरी वार्ड नं. 57, पुराना वार्ड नं. 45	**01-(महिला आरक्षित)**
8.		ग्राम पंचायत 21 जीजी बूर्जवाली	01-(अनारक्षित)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]a
Designation : District Supply Officer
Date: 2025.06.[illegible]:56:13 IST
Reason: Approv[illegible]

9.	श्रीकरणपुर	ग्राम पचांयत 14 एस माझीवाला	01—(अनारक्षित)
10.		ग्राम पचांयत 24 ओ भुटीवाला	01—(अनारक्षित)
11.		ग्राम पचांयत 52 एफ	01—(अनारक्षित)
12.	पदमपुर	ग्राम पचांयत 24 बीबी	01—(अनारक्षित)
13.		ग्राम पचांयत 69 एलएनपी	**01—(महिला आरक्षित)**
14.	अनूपगढ	शहरी वार्ड नं. 7 प्रेमनगर	**01—(महिला आरक्षित)**
15.		ग्राम 87 जीबी (ए) ग्राम पचांयत 78 जीबी	01—(अनारक्षित)
16.		ग्राम पंचायत समेलपुरा	01—(अनारक्षित)
17.	घडसाना	अमर कालोनी (ग्राम पंचायत 3 एसटीआर) नगर पालिका घडसाना	01—(अनारक्षित)
18.		ग्राम 21 एएस (बी) ग्राम पंचायत 6 डीडी	**01—(महिला आरक्षित)**
19.	रावला	ग्राम 4 केएलएम (ए) ग्राम पचांयत 10 डीओएल	01—(अनारक्षित)
20.	रायसिहनगर	ग्राम पंचायत 3 एम.के.	01—(अनारक्षित)
21.		ग्राम पंचायत सतजण्डा	01—(अनारक्षित)
22.		ग्राम पंचायत बगीचा	**01—(महिला आरक्षित)**
23.	श्रीविजयनगर	ग्राम पचांयत बिलोचिया	01—(अनारक्षित)

उपरोक्त नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक एफ17(1)खावि/विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं पत्रांक एफ17(5)खावि/न्याय/महि. आर/2019 दिनांक 25.11.2020 तथा पत्रांक एफ17(4)खा.वी./न्याय/2025 दिनांक 10.05.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश में वर्णित चयन प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जावेगी। उचित मूल्य दुकानों का आवंटन के सम्बन्ध में योग्यता, चयन मापदण्ड एवं अन्य दिशा–निर्देशा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in व जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by K[illegible]a
Designation : District Supply Officer
Date: 2025.0[illegible]:56:13 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 15911482

उक्त नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में कमी/वृद्वि/संशोधन विभाग द्वारा किया जा सकता है तथा नवसृजित को भरने/ना भरने के सम्बन्ध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्त विभिन्न अपीलीय/न्यायिक न्यायालयों के निर्णयों के अध्यधीन होगा।

(कविता)
जिला रसद अधिकारी,
श्रीगंगानगर

क्रमांकः—सम/ 804 to 852 दिनांक :—13.06.2025

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1 विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज. जयपुर।
2 श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज. जयपुर।
3 श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग,बीकानेर।
4 श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज. जयपुर।
5 श्रीमान् उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज. जयपुर।
6 माननीय सांसद महोदय जिला श्रीगंगानगर।
7 माननीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र गंगानगर/सादुलशहर/श्रीकरणपुर/रायसिंहनगर/अनूपगढ।
8 माननीय जिला प्रमुख महोदय, श्रीगंगानगर।
9 श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
10 उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार ....(समस्त)।
11 निजी सचिव, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
12 सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्रीगंगानगर।
13 ए.सी.पी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14 प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक ....(समस्त)।
15 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर को जन सधारण की जानकारी हेतु स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रस्तारित करने एवं व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु।
16 लेखा शाखा कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से 100/—रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी,श्रीगंगानगर के पक्ष में प्राप्त कर आवेदन पत्र देना व वापिस जमा करना सुनिश्चित करें।
17 नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ta
Designation : Distri[illegible] Supply Officer
Date: 2025.0[illegible]:56:13 IST
Reason: Approv[illegible]